

14/10/19

2018

334

शमशिरा

वकील कारी उपज प्रतिकादी की लम्बी
हेतु वादी को लम्बी हेतु लम्बाना प्रवृ
कले हेतु कई अवसर डिप्लोमा के उपरान्त
भी वकील कारी ने लम्बी हेतु लम्बाना
पेक्षा नहीं किया है अतः प्राप्यज प्रवृ
अन्तर्गत धरम 09 R 05 CPC के तहत
प्राप्यज अदक तकलीफ (Non-compliance)
में शवाह किता मक ही पणवानी
नाम्बर से कक दोका बाद तकलीफ
मुक्त कार के साथ संलग्न हो (पुण्यवानी)

[Signature]

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

